# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

पीठासीन अधिकारी — बन्शी धर योगी (RAS)
मुकदमा नम्बर — 51 / 2020

**GCMS NO. 2020/00260**

औमप्रकाश पुत्र श्री चेतराम जाति जाट आयु 67 वर्ष निवासी मेहाडा जाटूवास तहसील खेतडी जिला झुंझुनू (राज0) मोबाईल नम्बर 9462096011

वादी

— बनाम —

1. उर्मिला पुत्री स्व. दयानन्द पत्नी स्व. राजेन्द्र आयु 45 वर्ष
2. सुनिल पुत्री स्व. दयानन्द पत्नी देशराज आयु 30 वर्ष जाति जाट निवासीगण गादूवास तहसील मण्डावर जिला अलवर (राज0)
3. भरपाई पत्नी स्व. दयानन्द आयु 60 वर्ष
4. करण सिंह आयु 40 वर्ष
5. विजेन्द्र सिंह आयु 35 वर्ष
   पुत्रान स्व. दयानन्द जाति जाट निवासीगण नापला तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा)
6. शीशराम आयु 68 वर्ष पुत्र स्व. पालाराम
7. हवासिंह आयु 66 वर्ष पुत्र स्व. पालाराम
8. मदनसिंह आयु 55 वर्ष पुत्र स्व. पालाराम
   समस्त जाति जाट निवासीगण मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं (राज0)
9. बनवारी पुत्री स्व. पालाराम पत्नी मोहन सिंह आयु 65 वर्ष जाति जाट निवासी मक्सूसर तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा)
10. संतोषी पुत्री स्व. पालाराम पत्नी बलवन्त आयु 45 वर्ष जाति जाट निवासी मक्सूसपुर तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा) **(अपना हिस्सा हकत्याग कर दिया)**
11. प्रबन्धक, इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा कोलिहान नगर तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं (राज0)
12. प्रबन्धक, इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा मेहाडा जाटूवास तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं (राज0)
13. भू–स्वामी, जरिये तहसीलदार खेतडी जिला झुंझुनूं (राज0)

.......... प्रतिवादीगण

दावा — खाता विभाजन
अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान [illegible] अधिनियम, 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.11.18 16:22:16 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :—

1. श्री कृष्ण कुमार वर्मा [illegible] वादी
2. श्री रेणू कुमावत अभिभा[illegible] प्र[illegible] सं. 1 से 5

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

—: निर्णय :—                दिनांक :— 30.10.2024

उपर्युक्त उनवानी वाद में इस न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री का निर्णय दिनांक 09.12.2022 को पारित कर तहसीलदार खेतड़ी को इस आशय की तहरीर जारी की गई कि वाके ग्राम मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या नया 313 में दर्ज खसरा नम्बर 133, 1408/99, 1451/97, 1480/78, 79, 80, 81, 82, 97, 98 कुल किता 10 कुल रकबा 4.88 हेक्टेयर में वादी का 1/4 हिस्से का तथा खाता संख्या 151 खसरा नम्बर 132 रकबा 0.61 हेक्टेयर में वादी का 1/4 हिस्से का अलग–अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार तहसीलदार (भू0अ0) खेतडी को 500 रू. के खर्चे पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है, कि वे पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06–11–2004 को मध्य नजर रखते हुये रास्ता कायम कर विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान को पूर्व सूचना देकर तैयार कर यथाशीघ्र भिजवायें।

तहसीलदार (भू.अ.) खेतडी द्वारा न्यायालय निर्णय की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्रांक भू.अ./2023/654 दिनांक 16.02.2023 द्वारा प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

तहसीलदार (भू0अ0) खेतडी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.02.2023 का अधिवक्ता उभय पक्षकारान को अवलोकन कराया गया तथा विभाजन प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने अपनी बहस में कथन किया कि पत्रावली में उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.02.2023 के मुताबिक वाद वादी अंतिम डिक्री कर [illegible]

पत्रावली में उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.02.2023 का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया व प्रलेखीय दस्तावेजात् का आद्योपान्त परीक्षण किया गया तथा अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से पाया कि उक्त विभाजन प्रस्ताव क्षेत्राधिकार के अनुसार राजस्व अधिकारी तहसीलदार खेतडी के द्वारा पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06–11–2004 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प. 3 (17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30–09–2021 के बिन्दु संख्या 6 को मध्य नजर रखते हुये माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक रा.म./न्याय/स्था./प–15/2008/विविध/10546 दिनांक 05–10–2020 के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को लिखित में सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है तथा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2024 में भी यही आदेश दिया गया था।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.11.18 16:22:16 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप राजस्व अधिकारी तहसीलदार खेतड़ी द्वारा दिनांक 27.01.2023 को तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.02.2023 (प्रदर्श–'अ–1 से 7' व 'ब') के अनुसार वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

**आदेश**

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.02.2023 (प्रदर्श–'अ–1 से 7' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 से 7' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार खेतड़ी मुताबिक प्रदर्श–'ब' के भूमि का सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.)

(बन्शी धर योगी)
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.11.18 16:22:16 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री (अंतिम)
डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई
( आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

**पीठासीन अधिकारी** :– बन्शी धर योगी (RAS)

औमप्रकाश पुत्र श्री चेतराम जाति जाट आयु 67 वर्ष निवासी मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं (राज0) मोबाईल नम्बर 9462096011

...................वादी

**— बनाम —**

1. उर्मिला पुत्री स्व. दयानन्द पत्नी स्व. राजेन्द्र आयु 45 वर्ष
2. सुनिल पुत्री स्व. दयानन्द पत्नी देशराज आयु 30 वर्ष जाति जाट निवासीगण गादूवास तहसील मण्डावर जिला अलवर (राज0)
3. भरपाई पत्नी स्व. दयानन्द आयु 60 वर्ष
4. करण सिंह आयु 40 वर्ष
5. विजेन्द्र सिंह आयु 35 वर्ष
   पुत्रान स्व. दयानन्द जाति जाट निवासीगण नापला तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)
6. शीशराम आयु 68 वर्ष पुत्र स्व. पालाराम
7. हवासिंह आयु 66 वर्ष पुत्र स्व. पालाराम
8. मदनसिंह आयु 55 वर्ष पुत्र स्व. पालाराम
   समस्त जाति जाट निवासीगण मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)
9. बनवारी पुत्री स्व. पालाराम पत्नी मोहन सिंह आयु 65 वर्ष जाति जाट निवासी मक्सूसर तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)
10. संतोषी पुत्री स्व. पालाराम पत्नी बलवन्त आयु 45 वर्ष जाति जाट निवासी मक्सूसपुर तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) **(अपना हिस्सा हकत्याग कर दिया)**
11. प्रबन्धक, इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा कोलिहान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)
12. प्रबन्धक, इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं (राज0)
13. भू–स्वामी, जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)

.......... प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.11.18 16:22:16 IST
Reason: SelfAttested

**दावा बाबत** :– खाता विभाजन अन्तर्गत धारा, 53 आर.टी. एक्ट 1955

**मुकदमा नम्बर** :– 51 / 2020
**GCMS NO. 2020/00260**

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

निर्णय दिनांक :– 30.10.2024

वादी की ओर से **श्री कृष्ण कुमार वर्मा एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से **रेणू कुमावत एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.10.2024 को **बन्शी धर योगी (RAS) उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.02.2023 (प्रदर्श–'अ–1 से 7' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 से 7' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार खेतड़ी मुताबिक प्रदर्श–'ब' के भूमि का सीमांकन करवायेंगे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 30.10.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.)

(बन्शी धर योगी)
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.11.18 16:22:16 IST
Reason: SelfAttested